फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ **— रेस्पोण्डेंट**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 09/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.02.2020 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ के द्वारा जरिये पत्रांकः—सू.अ./रीडर/2020/21—22 दिनांक 10.02.2020 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। अपीलार्थी श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, तहसील देपगढ़, जिला राजसमन्द एवं श्रीमान द्वारा चाही गई सूचना में कार्यालय के पत्र क्रमांक सू.अ.05/2019/1617—18 दिनांक 25.07.2019 को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। परन्तु बार—बार एक ही सवाल को पूछकर कार्यालय का समय बर्बाद किया जा रहा हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियम के तहत उक्त जानकारी उपलब्ध नही करवाई जा सकती है एवं सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त करें। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना AVVNL से संबंधित होने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज करते हुए निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ व अपीलार्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमन्द**	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)